[illegible] प्रतिवादी सं० 2 का [illegible] खण्ड दावा पत्रावली में शामिल है। प्रतिवादी सं० 1 को नोटिस तामील नहीं। इसलिये पुनः मय कार पेश करें। पत्रावली दिनांक 12/4/18 को पेश हो।

12/4/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०।
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते पेशी/श्रवण 01/5/18 में
दिनांक 18/06/2018 को पेश हो।

10/6/18

पत्रावली आज दिनांक को पेश न्याय आपके हाजर अदालत में प्रस्तुत हुई। वादी राजानन्द उपस्थित। मय अधिवक्ता के जानकारी करने पर, मौका रिपोर्ट, रघुवीर राम व मूलचन्द के शपथ पत्र व सहमति का प्रवाद दावा का अवलोकन करने पर वाद को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम कोल के खसरा 10, 15 में प्रमाण्य नाप पि० रामलखनाथ को हटाकर किया जाकर प्रार्थी वादी का नाम राजानन्द पुत्र रामलखनाथ दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। वादव्यय शामिल रहा हो।

रघुवीर राम

किशनलाल मीणा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़